अध्याय 5

सेवा-कर

1994 के अधिनियम 32 का उपांतरण।

150. 16 जुलाई, 1997 से ही प्रारंभ होने वाली और 16 अक्तूबर, 1998 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 116 द्वारा उपांतरित किए गए वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के उपबंध निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे और प्रभावी हुए समझे जाएंगे, अर्थात् :— 2002 का 10

(क) धारा 68 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा और 16 जुलाई, 1997 से ही अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

" परंतु यह कि —

(i) किसी निकासी और अग्रेषण अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं की बाबत, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने कोई निकासी और अग्रेषण अभिकर्ता नियोजित किया है और जिसके द्वारा वह पारिश्रमिक या कमीशन (चाहे जिस नाम से ज्ञात हो), 16 जुलाई, 1997 से आरंभ होने वाली और 16 अक्तूबर, 1998 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उक्त अभिकर्ता को, ऐसी सेवा उपलब्ध कराने के लिए संदत्त किया जाता है; या

(ii) माल परिवहन प्रचालक द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं की बाबत, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो 16 नवंबर, 1997 से ही आरंभ होने वाली और 2 जून, 1998 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए निकासी और अग्रेषण अभिकर्ता द्वारा किसी माल का वहन करने में सड़क द्वारा माल के परिवहन के लिए स्वयं या अपने अभिकर्ता के माध्यम से भाड़े का संदाय करता है या संदाय करने का दायी है,

निर्धारिती समझा जाएगा और तदनुसार उसे उपलब्ध कराई गई ऐसी सेवाओं के लिए केंद्रीय सरकार के खाते में सेवा-कर का संदाय करने के लिए दायी होगा ।";

(ख) धारा 71 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, और 16 जुलाई, 1997 से ही अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय ग्राहकों द्वारा विवरणी का फाइल किया जाना।

" 71क. धारा 69 और धारा 70 के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उनके उपबंध संबंधित अवधि के लिए और उसमें विनिर्दिष्ट सेवा की बाबत सेवा-कर के संबंध में विवरणी फाइल करने के लिए धारा 68 की उपधारा (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट किसी निर्धारिती को लागू नहीं होंगे और ऐसा व्यक्ति उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास के भीतर सेवा-कर के स्वतः निर्धारण के आधार पर, विहित रीति में केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को विवरणी देगा और तदनुसार धारा 71 के उपबंध लागू होंगे ।";

(ग) धारा 94 की उपधारा (2) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 16 जुलाई, 1997 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

" (गग) धारा 71क के अधीन विवरणी देने की रीति ।" ।

1994 के अधिनियम 32 का संशोधन।

151. वित्त अधिनियम, 1994 में,—

(क) धारा 65 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

परिभाषाएं ।

' 65. इस अध्याय में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "बीमांकक" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (1) में है ; 1938 का 4

(2) "विज्ञापन" के अंतर्गत कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर, दस्तावेज, होर्डिंग या प्रकाश, ध्वनि, धुएं या गैस के माध्यम से किया गया कोई अन्य श्रव्य या दृश्यरूपण है ;

(3) "विज्ञापन अभिकरण" से विज्ञापन बनाने, तैयार करने, संप्रदर्शन या प्रदर्शन से संबंधित कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विज्ञापन परामर्शी है ;

(4) "वायुमार्ग यात्रा अभिकर्ता" वायुमार्ग द्वारा यात्रा के लिए यात्रा बुक करने के संबंध में कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(5) " अपील अधिकरण" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 के अधीन गठित सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा-कर अपील अधिकरण अभिप्रेत है ; 1962 का 52

(6) " वास्तुविद्" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका नाम, तत्समय, वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की धारा 23 के अधीन रखे गए वास्तुविदों के रजिस्टर में दर्ज है और इसके अंतर्गत किसी भी रीति से स्थापत्य कला के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगा हुआ कोई वाणिज्यिक समुत्थान भी है ; 1972 का 20

(7) " निर्धारिती" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सेवा-कर का संदाय करने के लिए दायी है और इसके अंतर्गत उसका अभिकर्ता है ;

(8) " विदेशी मुद्रा का प्राधिकृत व्यौहारी" का वही अर्थ है जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ग) में " प्राधिकृत व्यक्ति" का है ; 1999 का 42

(9) " प्राधिकृत सर्विस स्टेशन" से किसी मोटर यान विनिर्माता द्वारा विनिर्मित किसी मोटर कार या दुपहिया मोटर यान की कोई सर्विस या मरम्मत करने के लिए ऐसे किसी मोटर यान विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कोई सर्विस स्टेशन या केंद्र अभिप्रेत है ;

(10) "बैंककारी" का वही अर्थ है जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ख) में है ; 1949 का 10

(11) "बैंककारी कंपनी" का वही अर्थ है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45क के खंड (क) में है ; 1934 का 2

(12) "बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाओं" से,—

(क) किसी बैंककारी कंपनी या किसी वित्तीय संस्था, जिसके अंतर्गत गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी है, द्वारा प्रदान की गई निम्नलिखित सेवाएं हैं, अर्थात् :—

(i) वित्तीय पट्टा सेवाएं, जिसके अंतर्गत किसी निगमित निकाय द्वारा उपस्कर पट्टे पर देना और अवक्रय करना है ;

(ii) क्रेडिट कार्ड सेवाएं ;

(iii) वाणिज्यिक बैंककारी सेवाएं ;

(iv) प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा (फौरेक्स) दलाली ;

(v) आस्ति प्रबंधन, जिसके अंतर्गत पोर्टफोलियो प्रबंधन, सभी प्रकार के निधि प्रबंधन, पेंशन निधि प्रबंधन, अभिरक्षा संबंधी निक्षेपागार और न्यास सेवाएं हैं किंतु इसके अंतर्गत रोकड़ प्रबंधन नहीं है ;

(vi) सलाहकार और अन्य सहायक वित्तीय सेवाएं, जिसके अंतर्गत विनिधान और पोर्टफोलियो अनुसंधान और सलाह, समामेलन और अर्जन पर सलाह तथा निगमित पुनःसंरचना और युक्ति पर सलाह है ; और

(vii) सूचना और डाटा प्रसंस्करण का उपबंध और अंतरण ;

(ख) किसी विदेशी मुद्रा दलाल, उससे भिन्न जो उपखंड (क) के अंतर्गत आते हैं, द्वारा उपलब्ध कराई गई विदेशी मुद्रा दलाली ;

(13) "बोर्ड" से केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड अभिप्रेत है ; 1963 का 54

(14) "निगमित निकाय" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (7) में है ; 1956 का 1

(15) "प्रसारण" का वही अर्थ है, जो प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 2 के खंड (ग) में है और इसके अंतर्गत किसी रेडियो या टेलीविजन चैनल पर श्रव्य या दृश्य विषय का कार्यक्रम चयन, अनुसूची तैयार करना या प्रस्तुतीकरण भी है, जो जनता द्वारा, यथास्थिति, सुने या देखे जाने के लिए आशयित है; और ऐसे किसी प्रसारण अभिकरण या संगठन की दशा में, जिसका मुख्यालय भारत से बाहर किसी स्थान पर अवस्थित है, इसके अंतर्गत उक्त अभिकरण या संगठन की ओर से भारत में इसके शाखा कार्यालय या समनुषंगी या प्रतिनिधि या भारत में नियुक्त किसी अभिकर्ता द्वारा या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जो उसकी ओर से किसी रीति में कार्य करता है, समय काल का विक्रय करने या किसी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए प्रायोजक प्राप्त करने या प्रसारण प्रभारों के संग्रहण के क्रियाकलाप भी हैं ; 1990 का 25

(16) "प्रसारण अभिकरण या संगठन" से ऐसा कोई संगठन या अभिकरण अभिप्रेत है जो किसी रीति में प्रसारण से संबंधित सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और ऐसे किसी प्रसारण अभिकरण या संगठन की दशा में, जिसका मुख्यालय भारत से बाहर किसी स्थान पर अवस्थित है, इसके अंतर्गत भारत में उसका शाखा कार्यालय या समनुषंगी या प्रतिनिधि या भारत में नियुक्त कोई अभिकर्ता या ऐसा व्यक्ति भी है, जो किसी रीति में उसकी ओर से कार्य करता है, जो उक्त अभिकरण या संगठन की ओर से किसी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए समय-काल का विक्रय करने या ऐसे कार्यक्रम के लिए प्रायोजक प्राप्त करने या प्रसारण प्रभारों के संग्रहण के क्रियाकलाप में लगा हुआ है ;

(17) "सौन्दर्य उपचार" से मुख और सौन्दर्य उपचार, प्रसाधन उपचार, हस्त श्रृंगार, पाद श्रृंगार या सौन्दर्य, चेहरे की देखभाल और बनाव-श्रृंगार के संबंध में सलाहकारी सेवाएं अभिप्रेत हैं ;

(18) "सौन्दर्य पार्लर" से ऐसा कोई स्थापन अभिप्रेत है जो सौन्दर्य उपचार संबंधी सेवाएं प्रदान कर रहा है ;

(19) "कारबार सहायक सेवा" से निम्नलिखित से संबंधित कोई सेवा अभिप्रेत है—

(i) कक्षीकार द्वारा उत्पादित या उपलब्ध अथवा उसके माल का संवर्धन या विपणन या विक्रय; या

(ii) कक्षीकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा का संवर्धन या विपणन; या

(iii) कक्षीकार की ओर से उपलब्ध कराई गई कोई ग्राहक देखभाल सेवा; या

(iv) कोई आनुषंगिक या सहायक समर्थन सेवा जैसे बिलिंग, चेकों का संग्रहण या वसूली, लेखा और प्रेषण, भावी ग्राहकों का मूल्यांकन और लोक संपर्क सेवाएं,

और इसके अंतर्गत कमीशन अभिकर्ता के रूप में सेवाएं सम्मिलित हैं किंतु इसमें कोई सूचना प्रौद्योगिकी सेवा नहीं है ।

स्पष्टीकरण — शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषणा की जाती है कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए "सूचना प्रौद्योगिकी सेवा" से डिजाइनिंग, विकास या कंप्यूटर साफ्टवेयर का अनुरक्षण या कंप्यूटरीकृत डाटा प्रसंस्करण या प्रणाली नेटवर्किंग या कंप्यूटर प्रणाली के प्रचालन के संबंध में प्राथमिक रूप से कोई अन्य सेवा से संबंधित कोई सेवा अभिप्रेत है;

(20) "कैब" से मोटर कैब या मैक्सी कैब अभिप्रेत है ;

1995 का 7 (21) "केबल आपरेटर" का वही अर्थ है जो केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (कक) में है ;

1995 का 7 (22) "केबल संबंधी सेवा" का वही अर्थ है जो केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (ख) में है ;

(23) "स्थोरा उठाई-धराई सेवा" से स्थोरा की लदाई, उतराई, पैकिंग करना या पैकिंग हटाना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विशेष आधानों में ढुलाई के लिए या गैर-आधानीकृत ढुलाई के लिए दी गई स्थोरा की उठाई-धराई सेवाएं, सभी प्रकार के परिवहन के लिए किसी आधान ढुलाई टर्मिनल या किसी अन्य ढुलाई टर्मिनल द्वारा दी गई सेवाएं और ढुलाई से आनुषंगिक स्थोरा उठाई-धराई सेवा भी हैं, किंतु इसके अंतर्गत निर्याती स्थोरा या यात्री सामान की उठाई-धराई या केवल माल का परिवहन करना नहीं है ;

(24) "खान-पान प्रबंधक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी प्रयोजन या अवसर के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी खाद्य, खाद्य निर्मितियों, एल्कोहाली या गैर-एल्कोहाली पेयों या क्राकरी और वैसी ही वस्तुओं या साज-सज्जाओं का प्रदाय करता है ;

(25) "निकासी और अग्रेषण अभिकर्ता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को किसी रीति से निकासी और अग्रेषण संक्रियाओं से संबंधित कोई सेवा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उपलब्ध कराने में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत परेषण अभिकर्ता है ;

(26) "वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग" से किसी वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग केंद्र द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला कोई प्रशिक्षण या कोचिंग अभिप्रेत है ;

(27) "वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग केंद्र" से किसी विषय या खेल-कूद से भिन्न किसी क्षेत्र में कोई प्रमाणपत्र जारी करके या उसके बिना कुशलता या ज्ञान या पाठ के लिए प्रशिक्षण या कोचिंग उपलब्ध कराने वाला कोई वाणिज्यिक संस्थान या स्थापन अभिप्रेत है और इसमें कोचिंग या ट्यूटोरियल कक्षाएं सम्मिलित हैं किंतु इसमें विद्यालय पूर्व कोचिंग और ऐसे प्रशिक्षण केंद्र या ऐसे संस्थान या स्थापन, जो प्रमाणपत्र या डिप्लोमा या डिग्री या तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मान्यताप्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता जारी करते हैं, सम्मिलित नहीं है ;

(28) "स्थापित करना या प्रतिस्थापित करना" से संयंत्र, मशीनरी या उपस्कर के स्थापित करने या प्रतिस्थापित करने के संबंध में उपलब्ध कराई गई कोई सेवा अभिप्रेत है ;

(29) "स्थापित और प्रतिस्थापित करने वाला अभिकरण" से स्थापित करने या प्रतिस्थापित करने से संबंधित सेवा उपलब्ध कराने वाला कोई अभिकरण अभिप्रेत है ;

2000 का 21 (30) "कंप्यूटर नेटवर्क" का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ञ) में है ;

(31) "परामर्शी इंजीनियर" से कोई ऐसा वृत्तिक रूप से अर्हता प्राप्त इंजीनियर या इंजीनियरी फर्म अभिप्रेत है, जो इंजीनियरी की एक या अधिक शाखाओं में किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कोई सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता प्रदान करती है ;

(32) "अभिसमय" से कोई औपचारिक बैठक या सभा अभिप्रेत है, जो साधारण जनता के लिए खुली नहीं है, और इसके अंतर्गत ऐसी बैठक या सभा नहीं है जिसका मुख्य उद्देश्य किसी प्रकार का आमोद-प्रमोद, मनोरंजन या मनबहलाव करना है;

(33) "कुरियर अभिकरण" से, ऐसा वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है, जो काल सुग्राही दस्तावेजों, माल या वस्तुओं को ले जाने के लिए या उनके साथ जाने के लिए, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, किसी व्यक्ति की सेवाओं का उपयोग करते हुए ऐसी दस्तावेजों, माल या वस्तुओं के द्वार से द्वार तक परिवहन में लगा हुआ है ;

(34) "प्रत्ययमापी अभिकरण" से ऐसा वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है जो किसी ऋणी बाध्यता की या वित्त की अपेक्षा करने वाली किसी परियोजना या कार्यक्रम की, चाहे ऋण के रूप में हो या अन्यथा, प्रत्ययमापी के कारबार में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत ऐसी किसी वित्तीय बाध्यता, लिखत या प्रतिभूति का, जिसका प्रयोजन किसी संभावी विनिधानकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को ब्याज या मूलधन के समय पर संदाय संबंधी सुरक्षा से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध कराना है, प्रत्यय मापन भी है ;

1962 का 52 (35) "सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 146 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन अस्थायी रूप से या अन्यथा अनुज्ञप्त है ;

2000 का 21 (36) "डाटा" का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ण) में है ;

(37) "निर्जल धुलाई" के अंतर्गत परिधान, कपड़े या अन्य वस्त्र, फर या चमड़े की वस्तुओं की निर्जल धुलाई है ;

(38) "निर्जल धुलाईकर्ता" से निर्जल धुलाई संबंधी सेवा प्रदान करने वाला कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है ;

2000 का 21 (39) "इलेक्ट्रानिक रूप" का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में है ;

(40) "वृत्तांत प्रबंधन" से किसी कला, मनोरंजन, कारबार, खेलकूद या किसी अन्य घटना की योजना बनाने, उसके

संवर्धन, आयोजन या प्रस्तुतीकरण के संबंध में प्रदान की गई कोई सेवा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस संबंध में दिया गया कोई परामर्श भी है ;

(41) "वृत्तांत प्रबंधक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी रीति में वृत्तांत प्रबंध के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है ;

(42) "अनुकृति (फैक्स)" से, दूर-संचार का वह रूप अभिप्रेत है जिसके द्वारा स्थिर ग्राफिक आकृतियों, जैसे मुद्रित पाठ और तस्वीरें स्कैन की जाती हैं और सूचना को दूर-संचार प्रणाली पर पारेषण के लिए विद्युत संकेतों में संपरिवर्तित किया जाता है ;

(43) "फैशन डिजाइनिंग" में मानवों द्वारा पहने जाने के लिए आशयित वेशभूषा, परिधान, कपड़ों, वस्त्र सहायक, आभूषण या कोई अन्य वस्तुओं के लिए डिजाइन की परिकल्पना करने, रूपरेखा तैयार करने और सृजन करने तथा पैटर्न तैयार करने से संबंधित कोई क्रियाकलाप है और उससे अनुषंगी कोई अन्य सेवा भी है ;

(44) "फैशन डिजाइनर" से फैशन डिजाइनिंग से संबंधित सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(45) "वित्तीय संस्था" का वही अर्थ है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खंड (ग) में है ; 1934 का 2

(46) "विदेशी मुद्रा दलाल" में विदेशी मुद्रा का कोई प्राधिकृत व्यवहारी सम्मिलित है ;

(47) "कारबार विशेषाधिकार" से ऐसा करार अभिप्रेत है जिसके द्वारा—

(i) कारबार विशेषाधिकार देने वाले व्यक्ति की पहचान से माल का विक्रय या माल का विनिर्माण या सेवा उपलब्ध कराने या कोई प्रक्रिया करने का, चाहे उसमें, यथास्थिति, कोई व्यापार चिह्न, सेवा चिह्न, व्यापार नाम या लोगो या कोई ऐसा संप्रतीक अंतर्वलित हो या नहीं, प्रतिनिधित्व अधिकार अनुदत्त करने का विशेषाधिकार दिया जाता है ;

(ii) कारबार विशेषाधिकार देने वाला व्यक्ति कारबार विशेषाधिकार के कारबार को चलाने की संकल्पना, जिसमें तकनीकी ज्ञान, प्रचालन की पद्धति, प्रबंधकीय विशेषज्ञता, विपणन तकनीक या प्रशिक्षण और क्वालिटी नियंत्रण के मानक केवल कारबार विशेषाधिकार वाले व्यक्ति को सभी तकनीकी ज्ञान के स्वामित्व के अंतरण के सिवाय सम्मिलित है, उपलब्ध कराता है ;

(iii) कारबार विशेषाधिकार वाले व्यक्ति से कारबार विशेषाधिकार देने वाले व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः फीस देने की अपेक्षा की जाती है; और

(iv) कारबार विशेषाधिकार वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की पहचान वाले उसी प्रकार के माल या सेवा या प्रक्रिया का विक्रय या उपलब्ध कराने में न लगने की बाध्यता के अधीन है ;

(48) "कारबार विशेषाधिकार देने वाला व्यक्ति" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी कारबार विशेषाधिकार लेने वाले व्यक्ति के साथ कोई कारबार विशेषाधिकार का करार करता है और जिसमें कारबार विशेषाधिकार देने वाले व्यक्ति का कोई सहयोगी या कारबार विशेषाधिकार देने वाले व्यक्ति द्वारा पदाभिहित कोई व्यक्ति सम्मिलित है और कारबार विशेषाधिकार देने वाला व्यक्ति पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(49) "साधारण बीमा कारबार" का वही अर्थ है जो साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 3 के खंड (छ) में है ; 1972 का 57

(50) "माल" का वही अर्थ है जो माल विक्रय अधिनियम, 1930 की धारा 2 के खंड (7) में है ; 1930 का 3

(51) "स्वास्थ्य और शारीरिक योग्यता सेवा" से शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए सेवा, जैसे सोना और भाप स्नान, तुर्की स्नान, सौर-चिकित्सा, स्पास, वजन कम करने या छरहरा बनाने वाले सैलून, व्यायामशाला, योग, मनन, मालिश (चिकित्सीय मालिश को छोड़कर) या कोई अन्य उसी प्रकार की सेवा अभिप्रेत है ;

(52) "हेल्थ क्लब और फिटनेस सेंटर" से ऐसा कोई स्थापन अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा होटल या आश्रयगृह भी है, जो स्वास्थ्य और शारीरिक योग्यता सेवा प्रदान कर रहा है ;

(53) "सूचना" का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (v) में है ; 2000 का 21

(54) "बीमा अभिकर्ता" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (10) में है ; 1938 का 4

(55) "बीमा सहायक सेवा" से ऐसी कोई सेवा अभिप्रेत है जो किसी बीमांकक, मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती या किसी बीमा अभिकर्ता द्वारा साधारण बीमा कारबार या जीवन बीमा कारबार के संबंध में उपलब्ध कराई जाती है और इसके अंतर्गत जोखिम निर्धारण, दावा निपटान, सर्वेक्षण और हानि निर्धारण भी है ;

(56) "मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती" का वही अर्थ है जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (च) में है ; 1999 का 41

(57) "इंटरनेट कैफे" से इंटरनेट के निर्धारण के लिए सुविधा उपलब्ध कराने वाला कोई वाणिज्यिक स्थापन अभिप्रेत है ;

(58) "बीमाकर्ता" से भारत में साधारण बीमा कारबार या जीवन बीमा कारबार करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(59) "आंतरिक साज-सज्जक" से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सलाह, परामर्श, तकनीकी सहायता के रूप में या किसी अन्य रीति से, स्थानों की योजना, डिजाइन करने या उन्हें सजाने, चाहे मानव निर्मित हो या अन्यथा, से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने के कारबार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगा हुआ है और इसके अंतर्गत परिदृश्य डिजाइनर भी है ;

(60) "पट्टे पर दिए गए सर्किट" से अभिदाता के अनन्य उपयोग के लिए नियत दो अवस्थानों के बीच उपलब्ध कराया गया कोई समर्पित योजक अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत वाक् सर्किट, डाटा सर्किट या तार सर्किट भी है ; 1938 का 4

(61) "जीवन बीमा कारबार" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (11) में है ;

(62) "चुंबकीय भंडारण युक्ति" के अंतर्गत मूल ध्वन्यंकन के प्रयोजन के लिए मोम के ब्लैंक, डिस्क या ब्लैंक, पट्टियां या फिल्म हैं ;

(63) "अनुरक्षण या मरम्मत" से निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली कोई सेवा अभिप्रेत है—

(i) किसी अनुरक्षण संविदा या करार के अधीन कोई व्यक्ति ; या

(ii) किसी माल या उपस्कर की जिसके अंतर्गत मोटर यान नहीं है,

अनुरक्षण या मरम्मत या सर्विसिंग से संबंधित कोई विनिर्माणकर्ता या कोई प्राधिकृत व्यक्ति ;

(64) "प्रबंध परामर्शी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी संगठन के प्रबंध के संबंध में किसी भी रीति से, कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है, जो किसी संगठन की किसी कार्य प्रणाली की संकल्पना, अभिकल्पना, विकास, उपांतरण, परिष्करण या उन्नयन से संबंधित कोई सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता प्रदान करता है ;

1882 का 4

(65) "मंडप" से संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 में यथापरिभाषित कोई स्थावर संपत्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत वहां का कोई ऐसा फर्नीचर, फिक्सचर, प्रकाश फिटिंग और उसमें की फर्श की बिछायतें हैं, जो किसी शासकीय, सामाजिक या कारबार संबंधी समारोह आयोजित करने के लिए प्रतिफल के लिए भाड़े पर दी जाती हैं ;

(66) "मंडप लगाने वाला" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी शासकीय, सामाजिक या कारबार संबंधी समारोह आयोजित करने के लिए प्रतिफल के लिए किसी मंडप के अस्थायी अधिभोग की अनुज्ञा देता है ;

(67) "जनशक्ति भर्ती अभिकरण" से कोई ऐसा वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी कक्षीकार को जनशक्ति की भर्ती के लिए किसी रीति से कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ है ;

(68) "बाजार अनुसंधान अभिकरण" से कोई ऐसा वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है, जो किसी उत्पाद, सेवा या उपयोगिता, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की ग्राहक-अपेक्षित और व्यावसायिक रूप से संघटित अनुसंधान सेवाएं हैं, के संबंध में किसी भी रीति से बाजार अनुसंधान करने में लगा हुआ है ;

1988 का 59

1988 का 59

(69) "मैक्सी कैब" का वही अर्थ है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (22) में है ;

1988 का 59

(70) "मोटर कैब" का वही अर्थ है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (25) में है ;

1988 का 59

(71) "मोटर कार" का वही अर्थ है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (26) में है ;

1934 का 2

(72) "मोटर यान" का वही अर्थ है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (28) में है ;

(73) "गैर बैंककारी वित्तीय संस्था" का वही अर्थ है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खंड (च) में है ;

(74) "ऑन-लाइन सूचना और डाटा आधारित पहुंच या पुनःवापसी" से अभिप्रेत है, किसी ग्राहक को किसी कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से पुनःवापस किए जाने योग्य या अन्यथा डाटा या सूचना का उपलब्ध कराना ;

1908 का 15

(75) "अन्य पत्तन" का वही अर्थ है जो भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 3 के खंड (4) में "पत्तन" का है किन्तु इसमें खंड (80) में यथापरिभाषित पत्तन नहीं हैं ;

(76) "पेजर" से ऐसा उपकरण, यंत्र या साधित्र अभिप्रेत है जो वाणी रहित सूचना-संकेत के साथ एक-तरफा व्यक्तिगत संबोधन पद्धति है और जिसमें संख्यात्मक या वर्ण-संख्यात्मक संदेश प्राप्त करने, संग्रह करने और संप्रदर्शित करने की सामर्थ्य है ;

(77) "फोटोग्राफी" के अंतर्गत स्थिर फोटोग्राफी, चलचित्र फोटोग्राफी, लेजर फोटोग्राफी, हवाई फोटोग्राफी या प्रतिदीप्ति फोटोग्राफी भी है ;

(78) "फोटोग्राफी स्टूडियो या अभिकरण" से कोई वृत्तिक फोटोग्राफर या ऐसा कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है जो फोटोग्राफी से संबंधित सेवा देने के कारबार में लगा है ;

1938 का 4

1963 का 38

(79) "पालिसी धारक" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (2) में है ;

(80) "पत्तन" का वही अर्थ है जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 2 के खंड (थ) में है ;

(81) "पत्तन सेवा" से ऐसी कोई सेवा अभिप्रेत है जो किसी जलयान या माल के संबंध में किसी पत्तन द्वारा या पत्तन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किसी रीति से दी जाती है ;

1949 का 38

(82) "व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउन्टेंट" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेंट संस्थान का सदस्य है और चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अधीन अनुदत्त व्यवसाय-प्रमाणपत्र धारण कर रहा है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा समुत्थान भी है, जो चार्टर्ड लेखा-कर्म के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है ;

1959 का 23

(83) "व्यवसायरत लागत लेखापाल" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान का सदस्य है और लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 के उपबंधों के अधीन अनुदत्त व्यवसाय-प्रमाणपत्र धारण कर रहा है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा समुत्थान भी है, जो लागत लेखा-कर्म के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है ;

1980 का 56

(84) "व्यवसायरत कंपनी सचिव" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य है और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अधीन अनुदत्त व्यवसाय-प्रमाणपत्र धारण कर रहा है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा समुत्थान भी है, जो कंपनी सचिव के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है ;

(85) "विहित" से इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(86) "रेलयात्रा अभिकर्ता" से रेल द्वारा यात्रा के लिए यात्राधिकार की बुकिंग करने से संबंधित कोई सेवा प्रदान करने में लगा हुआ कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(87) "स्थावर संपदा अभिकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्थावर संपदा के विक्रय, क्रय, पट्टे या किराए पर देने के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत स्थावर संपदा परामर्शी भी है ;

(88) "स्थावर संपदा परामर्शी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्थावर संपदा के मूल्यांकन, संकल्पना, डिजाइन, विकास, सन्निर्माण, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, अनुरक्षण, विपणन, अर्जन या प्रबंध के संबंध में किसी रीति से सलाह, परामर्शी या तकनीकी सहायता, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान करता है ; 1956 का 42

(89) "मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज" का वही अर्थ है जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में है ;

(90) "कैब भाड़े पर देने की स्कीम आपरेटर" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कैबों को भाड़े पर देने के कारबार में लगा हुआ है ;

(91) "वैज्ञानिक या तकनीकी परामर्श" से किसी वैज्ञानिक या किसी तकनीक-तंत्री या किसी विज्ञान या प्रौद्योगिकी संस्था या संगठन द्वारा किसी कक्षीकार को विज्ञान या प्रौद्योगिकी की एक या अधिक शाखाओं में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी रीति से, दी गई कोई सलाह, परामर्श या वैज्ञानिक या तकनीकी सहायता अभिप्रेत है ; 1956 का 42

(92) "प्रतिभूति" का वही अर्थ है जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में है ;

(93) "सुरक्षा अभिकरण" से ऐसा कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है जो किसी संपत्ति की, चाहे जंगम या स्थावर हो, या किसी व्यक्ति की, किसी रीति से, सुरक्षा से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के कारबार में लगा है और इसके अंतर्गत सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने की सेवाओं सहित किसी तथ्य या क्रियाकलाप के, चाहे वह वैयक्तिक प्रकृति का हो या अन्यथा, अन्वेषण, पता लगाने या सत्यापन करने की सेवाएं भी हैं ;

(94) "सेवा-कर" से इस अध्याय के उपबंधों के अधीन उद्ग्रहणीय कर अभिप्रेत है ;

(95) "पोत" से समुद्रगामी जलयान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत चलत जलयान भी है ;

(96) "पोत परिवहन लाइन" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी पोत का स्वामी है या उसे चार्टर करता है और इसके अंतर्गत ऐसा उद्यम भी है, जो पोत-परिवहन के कारबार का प्रचालन करता है या उसका प्रबंध करता है ;

(97) "ध्वन्यंकन" से किसी रीति से चुंबकीय भंडारण युक्ति पर ध्वनि का अंकन अभिप्रेत है और उसमें उसका संपादन करना भी है ;

(98) "ध्वन्यंकन स्टुडियो या अभिकरण" से कोई ऐसा वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है, जो ध्वन्यंकन से संबंधित कोई सेवा देने के कारबार में लगा हुआ है ;

(99) "स्टीमर अभिकर्ता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से,—

(i) पोत के प्रबंध या प्रस्थान के संबंध में किसी सेवा का निष्पादन करने, जिसके अंतर्गत उससे संबंधित प्रशासनिक कार्य करना भी है ; या

(ii) किसी पोत परिवहन लाइन के लिए या उसकी ओर से स्थोरा बुक करने, उसे विज्ञापित करने या उसका प्रचार करने ; या

(iii) पोत परिवहन लाइन के लिए या उसकी ओर से आधान प्रदायक सेवाएं उपलब्ध कराने,

का कार्य करता है ; 1992 का 15

(100) "स्टाक दलाल" से कोई ऐसा स्टाक दलाल अभिप्रेत है जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार स्टाक दलाल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है या वह उस रूप में रजिस्ट्रीकृत है ;

(101) "भंडारकरण और भांडागारण" के अंतर्गत माल के लिए भंडारण और भांडागारण की सेवाएं हैं जिसमें द्रव्य और गैस सम्मिलित हैं किन्तु इसके अंतर्गत कृषि उपज के भंडारण के लिए प्रदान की गई कोई सेवा या शीतागार द्वारा प्रदान की गई कोई सेवा नहीं है ; 1992 का 15

(102) "उप दलाल" से कोई ऐसा उप दलाल अभिप्रेत है जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार उप दलाल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है या वह उस रूप में रजिस्ट्रीकृत है ;

(103) "अभिदाता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको तार प्राधिकारी द्वारा टेलीफोन कनेक्शन या अनुकृति या पट्टे पर दिए गए सर्किट या पेजर या तार या टेलेक्स की कोई सेवा उपलब्ध कराई गई है ;

(104) "कराधेय सेवा" से कोई ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो निम्नलिखित को उपलब्ध कराई जाती है :—

(क) किसी विनिधानकर्ता को, मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के विक्रय या क्रय के संबंध में, किसी स्टाक दलाल द्वारा ;

(ख) किसी अभिदाता को, किसी टेलीफोन कनेक्शन के संबंध में, तार प्राधिकारी द्वारा ;

(ग) किसी अभिदाता को, किसी पेजर के संबंध में, तार प्राधिकारी द्वारा ;

(घ) किसी पालिसीधारक को, साधारण बीमा कारबार के संबंध में, साधारण बीमा कारबार करने वाले किसी बीमाकर्ता द्वारा ;

(ङ) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, विज्ञापनों के संबंध में, किसी विज्ञापन अभिकरण द्वारा ;

(च) किसी ग्राहक को, काल-सुग्राही दस्तावेजों, माल या वस्तुओं के द्वार से द्वार परिवहन के संबंध में, किसी कुरियर अभिकरण द्वारा ;

(छ) किसी कक्षीकार को, इंजीनियरी की एक या अधिक शाखाओं में किसी रीति से सलाह, परामर्शी या तकनीकी सहायता के संबंध में, किसी परामर्शी इंजीनियर द्वारा ;

(ज) किसी कक्षीकार को, वाहनों के प्रवेश या प्रस्थान अथवा माल के आयात या निर्यात के संबंध में, किसी सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता द्वारा ;

(झ) किसी पोत परिवहन लाइन को, पोत के प्रबंध या प्रस्थान या उससे संबंधित किसी प्रशासनिक कार्य तथा आधान के प्रदायक सेवा सहित स्थोरा बुक करने, उसे विज्ञापित या उसके लिए प्रचार करने के संबंध में, किसी स्टीमर अभिकर्ता द्वारा ;

(ञ) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, निकासी और अग्रेषण संक्रियाओं के संबंध में, किसी निकासी और अग्रेषण अभिकर्ता द्वारा ;

(ट) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, जनशक्ति की भर्ती के संबंध में, किसी जनशक्ति भर्ती अभिकरण द्वारा ;

(ठ) किसी ग्राहक को, वायु मार्ग द्वारा यात्रा के लिए यात्राधिकार बुक करने के संबंध में, किसी वायु मार्ग यात्रा अभिकर्ता द्वारा ;

(ड) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, किसी मंडप के उपयोग के संबंध में मंडप लगाने वाले द्वारा, जिसके अंतर्गत ऐसे उपयोग और खान-पान प्रबंधक के रूप में की गई सेवाओं के संबंध में, यदि कोई हो, किसी ग्राहक को उपलब्ध कराई गई सुविधाएं भी हैं ;

(ढ) किसी व्यक्ति को, किसी पर्यटन के संबंध में, किसी पर्यटन आपरेटर द्वारा ;

(ण) किसी व्यक्ति को, कैब को भाड़े पर देने के संबंध में, किसी कैब को भाड़े पर देने की स्कीम के प्रचालक द्वारा;

(त) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, अपनी वृत्तिक हैसियत में, किसी वास्तुविद् द्वारा ;

(थ) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, स्थानों की योजना, डिजाइन बनाने या सजाने, चाहे मानवनिर्मित हों या अन्यथा, के संबंध में, किसी आंतरिक साज-सज्जक द्वारा ;

(द) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, किसी संगठन के प्रबंध के संबंध में, किसी प्रबंध परामर्शी द्वारा ;

(ध) किसी कक्षीकार को, अपनी वृत्तिक हैसियत में, किसी रीति से, किसी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा ;

(न) किसी कक्षीकार को, अपनी वृत्तिक हैसियत में किसी रीति से, किसी व्यवसायरत लागत लेखापाल द्वारा ;

(प) किसी कक्षीकार को, अपनी वृत्तिक हैसियत में किसी रीति से, किसी व्यवसायरत कंपनी सचिव द्वारा ;

(फ) किसी कक्षीकार को, किसी स्थावर संपदा के संबंध में, किसी स्थावर संपदा अभिकर्ता द्वारा ;

(ब) किसी कक्षीकार को, किसी संपत्ति या व्यक्ति की सुरक्षा के संबंध में सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराके या अन्यथा और इसके अंतर्गत किसी तथ्य या क्रियाकलाप के अन्वेषण, पता लगाने या सत्यापन की सेवाओं का उपलब्ध कराया जाना भी है, किसी सुरक्षा अभिकरण द्वारा ;

(भ) किसी कक्षीकार को, किसी वित्तीय बाध्यता, लिखत या प्रतिभूति की प्रत्ययमापी के संबंध में, किसी प्रत्ययमापी अभिकरण द्वारा ;

(म) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, किसी उत्पाद, सेवा या उपयोगिता के लिए बाजार अनुसंधान के संबंध में, किसी बाजार अनुसंधान अभिकरण द्वारा ;

(य) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से हामीदारी के संबंध में, किसी हामीदार द्वारा ;

(यक) किसी कक्षीकार को, वैज्ञानिक या तकनीकी परामर्श के संबंध में, किसी वैज्ञानिक या किसी तकनीक-तंत्री या किसी विज्ञान या प्रौद्योगिकी संस्था या संगठन द्वारा ;

(यख) किसी ग्राहक को, फोटोग्राफी से संबंधित किसी रीति से, किसी फोटोग्राफी स्टूडियो या अभिकरण द्वारा ;

(यग) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से कन्वेंशन आयोजित कराने के संबंध में, किसी वाणिज्यिक समुत्थान द्वारा;

(यघ) किसी अभिदाता को, पट्टे पर दिए गए सर्किट के संबंध में, तार प्राधिकारी द्वारा ;

(यङ) किसी अभिदाता को, तार के माध्यम से संसूचना के संबंध में, तार प्राधिकारी द्वारा ;

(यच) किसी अभिदाता को, टैलेक्स के माध्यम से संसूचना के संबंध में, तार प्राधिकारी द्वारा ;

(यछ) किसी अभिदाता को, प्रतिरूप फैक्स संसूचना के संबंध में, तार प्राधिकारी द्वारा ;

(यज) किसी ग्राहक को, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से इलैक्ट्रानिक अभिलेख में किसी रीति से ऑन लाइन सूचना और डाटा आधारित पहुंच या पुनःप्राप्ति, या दोनों के संबंध में, किसी वाणिज्यिक समुत्थान द्वारा ;

(यझ) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से वीडियो टेप निर्माण के संबंध में, किसी वीडियो निर्माण अभिकरण द्वारा ;

(यञ) किसी कक्षीकार को, किसी भी प्रकार के ध्वन्यंकन के संबंध में, किसी ध्वन्यंकन स्टूडियो या अभिकरण द्वारा;

(यट) किसी कक्षीकार को, किसी रीति में प्रसारण के संबंध में किसी प्रसारण अभिकरण या संगठन द्वारा और ऐसे किसी प्रसारण अभिकरण या संगठन की दशा में, जिसका मुख्यालय भारत के बाहर किसी स्थान पर अवस्थित है, जिसके अंतर्गत भारत में इसके शाखा कार्यालय या समनुषंगी या प्रतिनिधि या भारत में नियुक्त कोई अभिकर्ता या ऐसा कोई व्यक्ति भी है, जो उसकी ओर से किसी रीति में, किसी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए समय काल का विक्रय करने या कार्यक्रम के लिए प्रायोजक प्राप्त करने या उक्त अभिकरण या संगठन की ओर से प्रसारण प्रभारों के संग्रहण के क्रियाकलाप में लगा

हुआ है ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि जब तक रेडियो या टेलीविजन प्रसारण भारत में ग्रहण किए जाते हैं और साधारण जनता के द्वारा, यथास्थिति, देखे जाने या सुने जाने के लिए आशयित है, ऐसी सेवा, प्रसारण के संबंध में कराधेय सेवा होगी, चाहे सिगनलों का पारेषण या उसका बीमींग उपग्रह के माध्यम से भारत के बाहर किसी स्थान पर हुआ हो ;

(यठ) किसी पालिसी धारक या बीमाकर्ता को, साधारण बीमा कारबार से संबंधित बीमा सहायक सेवाओं के संबंध में, किसी बीमांकक या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती या बीमा अभिकर्ता द्वारा ;

(यड) किसी ग्राहक को, बैंककारी या अन्य वित्तीय सेवाओं के संबंध में किसी बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था द्वारा, जिसके अंतर्गत गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी भी है ;

(यढ) किसी व्यक्ति को, किसी रीति से पत्तन सेवाओं के संबंध में, किसी पत्तन या पत्तन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ;

(यण) किसी ग्राहक को, किसी मोटर कार या दुपहिया मोटर यानों की सर्विस या मरम्मत के संबंध में किसी रीति से, किसी प्राधिकृत सर्विस स्टेशन द्वारा ;

(यत) किसी ग्राहक को, बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाओं के संबंध में, उपखंड (यड) में निर्दिष्ट निगमित निकाय से भिन्न किसी निगमित निकाय द्वारा ;

(यथ) किसी ग्राहक को, सौन्दर्य उपचार के संबंध में किसी सौन्दर्य पार्लर द्वारा ;

(यद) किसी व्यक्ति को, स्थोरा की उठाई-धराई के संबंध में किसी स्थोरा उठाई-धराई अभिकरण द्वारा ;

(यध) किसी ग्राहक को, केबल सेवाओं के संबंध में, केबल आपरेटर द्वारा ;

(यन) किसी ग्राहक को, निर्जल धुलाई के संबंध में, निर्जल धुलाईकर्ता द्वारा ;

(यप) किसी कक्षीकार को, वृत्तांत प्रबंधन के संबंध में, वृत्तांत प्रबंधक द्वारा ;

(यफ) किसी व्यक्ति को, फैशन डिजाइनिंग के संबंध में, फैशन डिजाइनर द्वारा ;

(यब) किसी व्यक्ति को, स्वास्थ्य और शारीरिक योग्यता सेवाओं के संबंध में, हेल्थ क्लब और शारीरिक योग्यता केन्द्र द्वारा ;

(यभ) किसी पालिसीधारक को, जीवन बीमा कारबार के संबंध में, जीवन बीमा कारबार करने वाले बीमाकर्ता द्वारा ;

(यम) किसी पालिसीधारक या बीमाकर्ता को, जीवन बीमा कारबार से संबंधित बीमा सहायक सेवाओं के संबंध में, किसी बीमांकक या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती या बीमा अभिकर्ता द्वारा ;

(यय) किसी ग्राहक को, रेल द्वारा यात्रा के लिए, यात्राधिकार की बुकिंग करने के संबंध में, रेल यात्रा अभिकर्ता द्वारा;

(ययक) किसी व्यक्ति को, माल के भंडारकरण और भांडागारण के संबंध में, भंडार या भांडागारपाल द्वारा ;

(ययख) किसी कक्षीकार को, कारबार सहायक सेवाओं के संबंध में, किसी वाणिज्यिक समुत्थान द्वारा ;

(ययग) किसी व्यक्ति को, वाणिज्यिक कोचिंग या प्रशिक्षण के संबंध में, किसी वाणिज्यिक कोचिंग या प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा ;

(ययघ) किसी ग्राहक को, स्थापन या संस्थापन के संबंध में, किसी स्थापन और संस्थापन अभिकरण द्वारा ;

(ययङ) कोई कारबार विशेषाधिकार लेने वाले व्यक्ति को, कारबार विशेषाधिकार के संबंध में, कारबार विशेषाधिकार देने वाले व्यक्ति द्वारा ;

(ययच) किसी व्यक्ति को, इंटरनेट पहुंच के संबंध में, किसी इंटरनेट कैफे द्वारा ;

(ययछ) किसी ग्राहक को, अनुरक्षण या मरम्मत के संबंध में, किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ययज) किसी व्यक्ति को, तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण के संबंध में, किसी तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण अभिकरण द्वारा ;

(ययझ) किसी व्यक्ति को, तकनीकी निरीक्षण और प्रमाणीकरण के संबंध में, किसी तकनीकी निरीक्षण और प्रमाणीकरण अभिकरण द्वारा ;

(ययञ) किसी ग्राहक को, किसी मैक्सी कैब की किसी सर्विस या मरम्मत के संबंध में, किसी प्राधिकृत सेवा केन्द्र द्वारा;

(ययट) किसी ग्राहक को, बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाओं के संबंध में, उपखंड (यम) और (यत) में निर्दिष्ट दलालों से भिन्न किसी विदेशी मुद्रा दलाल द्वारा ;

(ययठ) किसी व्यक्ति को, किसी रीति से पत्तन सेवा से संबंधित अन्य पत्तन या उस पत्तन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा,

और "सेवा प्रदाता" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ।

(105) " तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण" से माल या सामग्री या किसी स्थावर संपत्ति के भौतिक, रासायनिक, जैव वैज्ञानिक या किसी अन्य वैज्ञानिक परीक्षण या विश्लेषण से संबंधित कोई सेवा अभिप्रेत है, किन्तु इसमें मानव या पशुओं से संबंधित उपलब्ध कराई गई कोई परीक्षण या विश्लेषण सेवा नहीं है ;

(106) "तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण अभिकरण" से कोई ऐसा अभिकरण या व्यक्ति अभिप्रेत है जो तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ है ;

(107) "तकनीकी निरीक्षण और प्रमाणन" से माल या प्रक्रिया या सामग्री या किसी स्थावर संपत्ति का, यह प्रमाणित करने के लिए कि ऐसा माल या प्रक्रिया या सामग्री या स्थावर संपत्ति विनिर्दिष्ट मानक को पूरा करते हैं या उन्हें बनाए रखते हैं, जिसके अंतर्गत किसी अन्य लक्षण या परिधि के कृत्यकरण या उपयोगिता या क्वालिटी या सुरक्षा सम्मिलित है, निरीक्षण या परीक्षण अभिप्रेत है किन्तु जिसमें प्रदूषण स्तर के निरीक्षण और प्रमाणन से संबंधित कोई सेवा सम्मिलित नहीं है ;

1885 का 13

(108) "तकनीकी निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण" से ऐसा अभिकरण या व्यक्ति अभिप्रेत है जो तकनीकी निरीक्षण और प्रमाणन से संबंधित सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ है ;

1885 का 13

(109) "तार" का वही अर्थ है जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 3 के खंड (1) में है ;

(110) "तार प्राधिकारी" का वही अर्थ है जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 3 के खंड (6) में है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसे उस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई है;

(111) "टैलेक्स" से टैलेक्स एक्सचेंजों के माध्यम से टेलीप्रिन्टर का उपयोग करके टाइप की गई संसूचना अभिप्रेत है ;

1988 का 59

1988 का 59

(112) "पर्यटन" से एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा अभिप्रेत है चाहे ऐसे स्थानों के बीच की दूरी कुछ भी हो ;

(113) "पर्यटक यान" का वही अर्थ है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (43) में है ;

(114) "पर्यटक प्रचालक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुदत्त अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आने वाले किसी पर्यटक यान में पर्यटन कराने के कारबार में लगा हुआ है ;

(115) "हामीदार" का वही अर्थ है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) नियम, 1993 के नियम 2 के खंड (च) में है ;

1963 का 38

(116) "हामीदारी" का वही अर्थ है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) नियम, 1993 के नियम 2 के खंड (छ) में है ;

(117) "जलयान" का वही अर्थ है जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 2 के खंड (य) में है ;

(118) "वीडियो निर्माण अभिकरण" से कोई वृत्तिक वीडियोग्राफर या कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है, जो वीडियो टेप निर्माण से संबंधित सेवा प्रदान करने के कारबार में लगा हुआ है ;

1944 का 1

(119) "वीडियो टेप निर्माण" से किसी चुंबकीय टेप पर किसी कार्यक्रम या समारोह के किसी रीति से किसी अंकन की प्रक्रिया अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उसका संपादन करना भी है ;

(120) वे शब्द और पद, जो इस अध्याय में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, जहां तक हो सके, सेवा-कर के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे उत्पाद-शुल्क के संबंध में लागू होते हैं ।

कराधेय सेवाओं का वर्गीकरण।

65क. (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, कराधेय सेवाओं का वर्गीकरण, धारा 65 के खंड (104) के उपखंडों के निबंधनों के अनुसार अवधारित किया जाएगा ;

(2) जब किसी कारण से कोई कराधेय सेवा, प्रथमदृष्ट्या, धारा 65 के खंड (104) के दो या अधिक उपखंडों के अधीन वर्गीकरणीय है तब वर्गीकरण निम्न प्रकार से प्रभावी किया जाएगा :—

(क) उस उपखंड को, जो सर्वोत्तम विनिर्दिष्ट वर्णन का उपबंध करता है, अधिक व्यापक वर्णन का उपबंध करने वाले उपखंडों पर अधिमानता दी जाएगी ;

(ख) सम्मिश्र सेवाएं, जिसमें विभिन्न सेवाओं का संयोजन है जिन्हें खंड (क) के प्रतिनिर्देश से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा मानो उसमें ऐसी सेवाएं सम्मिलित हैं जो जहां तक यह मापमान लागू होता है, उन्हें अनिवार्य लक्षण प्रदान करता है ;

(ग) जब सेवाएं खंड (क) या खंड (ख) के प्रतिनिर्देश से वर्गीकृत नहीं की जा सकती हैं तब उन्हें उस उपखंड के अधीन वर्गीकृत किया जाएगा जो उन खंडों में सबसे पहले आता है जिसमें सर्वोत्तम विनिर्दिष्ट वर्णन का उपखंड है जिस पर समान रूप से विशिष्टता के आधार पर विचार किया जा सकता है ।';

सेवा-कर का प्रभारण ।

(ख) धारा 66 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"66. (1) कर (जिसे इसमें इसके पश्चात् सेवा-कर कहा गया है), धारा 65 के खंड (104) के उपखंड (क), उपखंड (ख), उपखंड (ग), उपखंड (घ), उपखंड (ङ), उपखंड (च), उपखंड (छ), उपखंड (ज), उपखंड (झ), उपखंड (ञ), उपखंड (ट), उपखंड (ठ), उपखंड (ड), उपखंड (ढ), उपखंड (ण), उपखंड (त), उपखंड (थ), उपखंड (द), उपखंड (ध), उपखंड (न), उपखंड (प), उपखंड (फ), उपखंड (ब), उपखंड (भ), उपखंड (म), उपखंड (य), उपखंड (यक), उपखंड (यख), उपखंड (यग), उपखंड (यघ), उपखंड (यङ), उपखंड (यच), उपखंड (यछ), उपखंड (यज), उपखंड (यझ), उपखंड (यञ), उपखंड (यट), उपखंड (यठ), उपखंड (यड), उपखंड (यढ), उपखंड (यण), उपखंड (यत), उपखंड (यथ), उपखंड (यद), उपखंड (यध), उपखंड (यन), उपखंड (यप), उपखंड (यफ), उपखंड (यब), उपखंड (यभ), उपखंड (यम), उपखंड (यय) और उपखंड (ययक) में निर्दिष्ट कराधेय मूल्य के आठ प्रतिशत की दर से उद्गृहीत किया जाएगा और ऐसी रीति से संगृहीत किया जाएगा जो विहित की जाए;

(2) उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, धारा 65 के खंड (104) के उपखंड (ययख), उपखंड (ययग), उपखंड (ययघ), उपखंड (ययङ), उपखंड (ययच), उपखंड (ययछ), उपखंड (ययज), उपखंड (ययझ), उपखंड (ययञ), उपखंड (ययट) और उपखंड (ययठ) में निर्दिष्ट कराधेय सेवा के मूल्य के आठ प्रतिशत की दर से सेवा कर उदगृहीत किया जाएगा और ऐसी रीति से संगृहीत किया जाएगा जो विहित की जाए ।";

(ग) धारा 67 के स्पष्टीकरण में,—

(i) खंड (च) में, " मोटर कार" शब्दों के स्थान पर, " मोटर कार, मैक्सी कैब" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) " किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है,—" शब्दों से आरंभ होने वाले और " यदि कोई हो, लागत" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के लिए निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"किंतु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है—

(i) टेलीफोन कनेक्शन या पेजर या प्रतिरूप (फैक्स) या तार या टैलेक्स या पट्टाधृत परिपथ के लिए आवेदन के समय अभिदाता द्वारा किया गया प्रारंभिक निक्षेप ;

(ii) सेवा उपलब्ध कराने के अनुक्रम के दौरान कक्षीकार को विक्रीत अनुद्भाषित फोटोग्राफी फिल्म, अनभिलिखित चुंबकीय टेप या ऐसी अन्य भंडारण युक्तियां, यदि कोई हों, की लागत ;

(iii) मोटर कार, मैक्सी कैब या दोपहिए मोटर यानों की सर्विस या मरम्मत के अनुक्रम के दौरान ग्राहक को विक्रीत पुर्जे या उपसाधन या खपत योग्य वस्तुएं, जैसे स्नेहक और शीतलकों की लागत ;

(iv) उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा की बाबत वायु यात्रा अभिकर्ता द्वारा संगृहीत वायुयान भाड़ा ;

(v) उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा की बाबत रेल यात्रा अभिकर्ता द्वारा संगृहीत रेल भाड़ा ;

(vi) अनुरक्षण या मरम्मत सेवा उपलब्ध कराने के अनुक्रम के दौरान ग्राहक को विक्रीत पुर्जों या अन्य सामग्री, यदि कोई हो, की लागत ;

(vii) स्थापन या संस्थापन सेवा उपलब्ध कराने के अनुक्रम के दौरान ग्राहक को विक्रीत पुर्जों या अन्य सामग्री, यदि कोई हों की लागत । ";

(घ) धारा 73 में,—

(i) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में, " छह मास" शब्दों के स्थान पर, " एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'(2क) जहां कोई सेवा-कर, जो निर्धारण से छूट गया है या अवनिर्धारित किया गया है या सेवा-कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या जिससे किसी राशि का भूलवश प्रतिदाय किया गया है, वहां सेवा-कर से प्रभार्य व्यक्ति, ऐसे सेवा-कर की बाबत उपधारा (1) के अधीन उसे सूचना की तामील से पूर्व ऐसे कर के बारे में अपने स्वयं के अभिनिश्चयन के आधार पर या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा अभिनिश्चित किए गए कर के आधार पर कर की राशि का संदाय कर सकेगा और, यथास्थिति, ऐसे सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को, ऐसे संदाय की लिखित में सूचना देगा, जो ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, इस प्रकार संदत्त सेवा-कर की बाबत उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं करेगा :

परंतु, यथास्थिति, सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त, कम संदाय किए गए कर की राशि को, यदि कोई हो, अवधारित कर सकेगा, जो उसकी राय में ऐसे व्यक्ति द्वारा संदत्त नहीं की गई है और तब, यथास्थिति, सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त, इस धारा में विनिर्दिष्ट रीति में ऐसी राशि की वसूली की कार्यवाही करेगा और उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट "एक वर्ष" की अवधि को संदाय की ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से गणना में लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 1— इस उपधारा की कोई बात उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत आने वाले मामलों को लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण 2— शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि यदि यह उपधारा न होती तो धारा 75 के अधीन व्यक्ति द्वारा इस उपधारा के अधीन संदत्त रकम पर ब्याज संदेय होगा और, यथास्थिति, सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या उप केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा अवधारित सेवा-कर के कम संदाय की रकम पर भी ब्याज संदेय होगा ।

(2ख) उपधारा (2क) के उपबंध, ऐसे किसी मामले को लागू नहीं होंगे जहां सेवा-कर उस दिन से पूर्व, जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, संदेय हो गया था या संदत्त हो जाना चाहिए था ।';

(ङ) धारा 78 में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन यथाअवधारित ऐसा सेवा-कर और धारा 75 के अधीन उस पर संदेय ब्याज का, यथास्थिति, सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के, ऐसा सेवा-कर अवधारित करने वाले आदेश की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर संदाय कर दिया जाता है, वहां इस धारा के अधीन ऐसे व्यक्ति द्वारा संदत्त की जाने वाली शास्ति की रकम इस प्रकार अवधारित सेवा-कर का पच्चीस प्रतिशत होगी :

परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन शास्ति कम करने का फायदा तब उपलब्ध होगा जब इस प्रकार अवधारित शास्ति की रकम का भी उस परंतुक में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर संदाय कर दिया गया है :

परंतु यह भी कि जहां अवधारित संदेय सेवा-कर में, यथास्थिति, आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा कमी या वृद्धि कर दी जाती है, वहां इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, सेवा-कर में की गई कमी या वृद्धि को गणना में लिया जाएगा :

परंतु यह भी कि उस दशा में, जहां अवधारित संदेय सेवा-कर में, यथास्थिति, आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा वृद्धि कर दी जाती है, वहां पहले परंतुक के अधीन शास्ति कम करने का फायदा तब उपलब्ध होगा जब इस प्रकार वर्धित सेवा-कर की रकम, उस पर संदेय ब्याज और शास्ति की पच्चीस प्रतिशत की पारिणामिक वृद्धि भी उस आदेश की सूचना के तीस दिन के भीतर संदत्त कर दी गई है, जिसके द्वारा सेवा-कर में ऐसी वृद्धि लागू होती है ।

स्पष्टीकरण— शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि—

(1) इस धारा के उपबंध उन मामलों को भी लागू होंगे जिनमें धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन सेवा-कर के अवधारण का आदेश उन सूचनाओं से संबंधित हैं, जो उस तारीख से पूर्व निकाली गई हों, जिसको वित्त अधिनियम, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ;

(2) पहले परंतुक या चौथे परंतुक में निर्दिष्ट आदेश की संसूचना की तारीख से पूर्व केन्द्रीय सरकार के खाते में संदत्त कोई रकम ऐसे व्यक्ति से शोध्य कुल रकम मद्धे समायोजित की जाएगी । ";

(च) खंड 83 में, "11घ" अंक और अक्षर के स्थान पर, " 11ग, 11घ, 12" अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(छ) धारा 85 की उपधारा (1) में, " इस अध्याय के अधीन शास्ति" शब्दों के स्थान पर, " इस अध्याय के अधीन शास्ति या किसी सेवा-कर के किसी प्रतिदाय के इन्कार" शब्द रखे जाएंगे ;

(ज) धारा 94 में, उपधारा (2) के खंड (ङङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

" (ङङङ) उपभोग की गई सेवाओं पर संदत्त सेवा-कर या किसी कराधेय सेवा को उपलब्ध कराने के लिए प्रयोग किए गए माल पर संदत्त या संदत्त समझे गए शुल्क का प्रत्यय । ";

(झ) धारा 95 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) यदि, वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा इस अध्याय में सम्मिलित किसी कराधेय सेवा के मूल्य के कार्यान्वयन या निर्धारण की बाबत कोई कठिनाई पैदा होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हो, कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश, उस तारीख से, जिसको वित्त अधिनियम, 2003 के उपबंध, जिसमें इस अध्याय की ऐसी कराधेय सेवाएं सम्मिलित हैं, लागू होते हैं, दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा । ";

(ञ) अध्याय 5 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'अध्याय 5क

अग्रिम विनिर्णय

परिभाषाएं ।

96क. इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अग्रिम विनिर्णय" से प्राधिकरण द्वारा, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई जाने के लिए प्रस्तावित किसी सेवा के संबंध में सेवा-कर का संदाय करने के दायित्व से संबंधित आवेदन में विनिर्दिष्ट विधि या तथ्य के प्रश्न का अवधारण अभिप्रेत है ;

(ख) "आवेदक" से अभिप्रेत है ,—

(i) कोई अनिवासी, जो किसी अनिवासी या निवासी के सहयोग से भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहा है ; या

(ii) कोई निवासी, जो किसी अनिवासी के सहयोग से भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहा है ; या

(iii) पूर्व स्वामित्व वाली कोई समनुषंगी भारतीय कंपनी, जिसकी धारक कंपनी कोई विदेशी कंपनी है,

जो भारत में कोई कारबारी क्रियाकलाप करने का प्रस्ताव कर रही है और अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन कर रही है ।

1962 का 52

(ग) "आवेदन" से धारा 96ग की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को किया गया आवेदन अभिप्रेत है ;

1961 का 43

(घ) "प्राधिकरण" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28च के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

1944 का 1

(ङ) "अनिवासी", " भारतीय कंपनी" और " विदेशी कंपनी" के वही अर्थ हैं जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खण्ड (30), (26) और (23क) में क्रमशः उनके हैं ;

(च) वे शब्द और पद, जो इस अध्याय में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं, और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या तद्धीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, सेवा-कर के संबंध में, जहां तक हो सके, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उत्पाद-शुल्क के संबंध में लागू होते हैं ।

रिक्तियों आदि से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

96ख. इस अध्याय के अधीन प्राधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही या उसके द्वारा सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा या अविधिमान्य नहीं होगा कि प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ।

अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन ।

96ग. (1) इस अध्याय के अधीन अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने की वांछा करने वाला कोई आवेदक, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उस प्रश्न का कथन करते हुए, जिस पर अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, आवेदन कर सकेगा ।

(2) वह प्रश्न, जिस पर अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, निम्नलिखित की बाबत होगा—

(क) अध्याय 5 के अधीन कराधेय सेवा के रूप में किसी सेवा का वर्गीकरण ;

(ख) सेवा-कर प्रभारित करने के लिए कराधेय सेवाओं का मूल्यांकन ;

(ग) अध्याय 5 के उपबंधों के अधीन कराधेय सेवा के मूल्य का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांत ;

(घ) अध्याय 5 के अधीन जारी की गई अधिसूचना का लागू होना ;

(ङ) सेवा कर के प्रत्यय की ग्राह्यता ।

(3) आवेदन चार प्रतियों में किया जाएगा और उसके साथ दो हजार पांच सौ रुपए की फीस होगी ।

आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया ।

(4) कोई आवेदक, आवेदन की तारीख से तीस दिन के भीतर आवेदन वापस ले सकेगा ।

96घ. (1) प्राधिकरण, आवेदन की प्राप्ति पर, उसकी एक प्रति केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को अग्रेषित कराएगा और यदि आवश्यक हो, उससे सुसंगत अभिलेख मांगेगा :

परंतु जहां किसी मामले में प्राधिकरण द्वारा कोई अभिलेख मंगाए जाते हैं वहां ऐसे अभिलेख, यथासंभवशीघ्र, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को लौटा दिए जाएंगे ।

(2) प्राधिकारी आवेदन और मांगे गए अभिलेखों की परीक्षा करने के पश्चात, आदेश द्वारा, आवेदन को मंजूर कर सकेगा या नामंजूर कर सकेगा :

परंतु प्राधिकारी, आवेदन वहां मंजूर नहीं करेगा जहां आवेदन में उठाया गया प्रश्न,—

(क) आवेदक के मामले में किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष पहले से ही लंबित है,

(ख) उठाया गया प्रश्न वही है जो अधिकरण या किसी न्यायालय द्वारा पहले से ही विनिश्चित किसी मामले में था :

परंतु यह और कि कोई आवेदन इस उपधारा के अधीन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो :

परंतु यह भी कि जहां आवेदन नामंजूर किया जाता है वहां, ऐसे नामंजूर किए जाने के कारण आदेश में दिए जाएंगे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति आवेदक को और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को भेजी जाएगी ।

(4) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन मंजूर किया जाता है वहां प्राधिकारी ऐसी और सामग्री की परीक्षा करने के पश्चात् जो आवेदक द्वारा उसके समक्ष रखी जाए या प्राधिकारी द्वारा अभिप्राप्त की जाए, आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रश्न पर अपना अग्रिम विनिर्णय सुनाएगा ।

(5) प्राधिकारी, आवेदक से प्राप्त किसी अनुरोध पर अपना अग्रिम विनिर्णय सुनाने से पूर्व आवेदक को स्वयं या सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुने जाने का अवसर देगा । 1944 का 1

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "प्राधिकृत प्रतिनिधि" का वही अर्थ है जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35थ की उपधारा (2) में उसका है ।

(6) प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति के नब्बे दिन के भीतर लिखित रूप में अपना अग्रिम विनिर्णय सुनाएगा ।

अग्रिम विनिर्णय का लागू होना ।

(7) प्राधिकारी द्वारा सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय की एक प्रति, जो सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और विहित रीति से प्रमाणित की जाएगी, ऐसे सुनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, आवेदक को और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को भेजी जाएगी।

96ङ. (1) धारा 96घ के अधीन प्राधिकरण द्वारा सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय केवल—

(क) उस आवेदक पर, जिसके द्वारा वह चाहा गया है ;

(ख) धारा 96ग की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी विषय की बाबत ;

(ग) आवेदक की बाबत, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त और उसके अधीनस्थ केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्राधिकारियों पर, आबद्धकर होगा ।

कतिपय परिस्थितियों में अग्रिम विनिर्णय का शून्य होना ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अग्रिम विनिर्णय पूर्वोक्त रूप में आबद्धकर होगा जब तक कि उस विधि या तथ्यों में, जिनके आधार पर अग्रिम विनिर्णय सुनाया गया है, कोई परिवर्तन न हुआ हो ।

96च. (1) जहां प्राधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा उसे किए गए अभ्यावेदन पर या अन्यथा, यह निष्कर्ष निकालता है कि धारा 96घ की उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय आवेदक द्वारा कपट या तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है वहां वह आदेश द्वारा, ऐसे विनिर्णय को आरंभ से ही शून्य घोषित कर सकेगा और तब इस अध्याय के सभी उपबंध (ऐसे अग्रिम विनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होने वाली और इस उपधारा के अधीन किए गए आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को छोड़ने के पश्चात्) आवेदक को वैसे ही लागू होंगे मानो ऐसा अग्रिम विनिर्णय कभी किया ही न गया हो ।

प्राधिकारी की शक्तियां।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की प्रति आवेदक को और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को भेजी जाएगी ।

96छ. (1) प्राधिकारी को खोज करने और निरीक्षण करने, किसी व्यक्ति को हाजिर कराने और उसकी शपथपत्र पर परीक्षा करने, कमीशन निकालने और लेखाबहियों तथा अन्य अभिलेखों को पेश करने के लिए विवश करने से संबंधित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। 1908 का 5 1974 का 2 1860 का 45

प्राधिकारी की प्रक्रिया।

(2) प्राधिकारी, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 के प्रयोजनों के लिए, किन्तु अध्याय 26 के प्रयोजनो के लिए नहीं, सिविल न्यायालय समझा जाएगा और प्राधिकारी के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही, भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में और धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी ।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

96ज. प्राधिकारी को, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से उदभूत होने वाले सभी विषयों में अपनी स्वयं की प्रक्रिया का विनियमन करने की शक्ति प्राप्त होगी ।

96झ. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्ट रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 96ग की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने का प्ररूप और रीति ;

(ख) धारा 96घ की उपधारा (7) के अधीन प्राधिकारी द्वारा दिए गए अग्रिम विनिर्णय की प्रति को प्रमाणित करने की रीति ;

(ग) कोई ऐसा अन्य विषय, जो इस अध्याय द्वारा विहित किया जाना है या किया जाए ।

(3) इस अध्याय के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो

जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा'।

1994 के अधिनियम 32 की धारा 93 के अधीन जारी की गई अधिसूचना का संशोधन।

152. (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 639(अ), तारीख 5 नवम्बर, 1997 के विखंडन के होते हुए भी, वह अधिसूचना संशोधित हो जाएगी और उसे अनुसूची के स्तंभ (3) में वर्णित तारीख से ही, भूतलक्षी प्रभाव से, बारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में 16 नवंबर, 1997 से 1 जून, 1998 तक (इसमें दोनों तारीखें सम्मिलित हैं) संशोधित किया गया समझा जाएगा और तदनुसार, किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, उक्त नियमों के अधीन की गई किसी कार्रवाई या बात या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्रवाई या बात को सभी प्रयोजनों के लिए इस प्रकार विधिमान्य और प्रभावी रूप से किया गया समझा जाएगा, मानो इस धारा द्वारा यथासंशोधित नियम सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त थे ।

1994 का 32

(2) ऐसे सभी सेवा करों का प्रतिदाय किया जाएगा जिन्हें संगृहीत किया गया है किन्तु जिन्हें इस प्रकार संगृहीत नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में होता ।

(3) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन सेवा-कर के प्रतिदाय के दावे का कोई आवेदन, उस दिन से, जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

1994 का 32

(4) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति होगी या शक्ति होना समझी जाएगी मानो केन्द्रीय सरकार को वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93 के अधीन उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की सभी तात्विक समयों पर शक्ति थी ।